न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./03/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
नरसिंगाराम पुत्र आशाराम,जाति रबारी, निवासी बेरानाडी कुण्डल, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. भीखसिंह पुत्र शिवसिंह, जाति राजपूत निवासी बेरानाडी कुण्डल, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 2. श्रीमान तहसीलदारजी, सिवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 122/2024 बउनवान भीखसिंह बनाम नरसिंगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री कपील श्रीमाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुखदेव पटेल रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–24.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा बेरानाडी कुण्डल, तहसील सिवाना के खसरा संख्या 912/539 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 925/541 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौज़ा बेरानाडी कुण्डल, तहसील सिवाना के खसरा संख्या 912/539 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 925/541 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. संख्या 1 को बिना विधिक तामील के ही अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुसार प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को नोटिस तामील नहीं करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय 12 के नियम 69 व 70 में वर्णित प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए पारित किया गया है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया जाना होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के विहित प्रावधानों से परे जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई थी किन्तु उसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रार्थी को नाजायज फायदा पहुंचाने के इरादे से मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के खसरा संख्या 540 में अपीलांट द्वारा अनार की बागवानी की गई है। जिसके सेढे–सेढे लगभग 4 मीटर चौड़ाई अपीलांट स्वयं के आवागमन हेतु रखी गई है। जिसके बारे में मौका रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अनार के पौधों से 15 फीट की दूरी का अंकन किया गया है। प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर रास्ता नहीं है। यहा सें रेस्पों. संख्या 1 द्वारा कभी भी आवागमन नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो निकटतम दूरी का होने के बाद भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। जहां तक डीएलसी की दरों का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि डीएलसी दर विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने वाले दिन तय की जाती है। इस अनुसार ही उक्त रास्ते की डीएलसी की दर तय की गई थी इसलिए अपीलांट के उक्त प्रश्न का कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का खरीददार है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 122/2024 बउनवान भीखसिंह बनाम नरसिंगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर